

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इककीस'
कार्यालय जनपद पंचायत बहोरीबंद
प्रश्न सं. [क. 1277]

[30/11/2017]

परिशिष्ट-01

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1277 द्वारा माननीय श्री कुँवर सौरभ सिंह की जानकारी

क्र.	जनपद पंचायत	विभाग/फर्म/नर्सरी का नाम	पौधे की प्रजाति	दर	संख्या	राशि
1	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	आम ग्राफटेड	50	30	1500
2	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	ऑवला ग्राफटेड	30	100	3000
3	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	मुनगा	15	7139	107085
4	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	अमरुद बीजू	15	22405	336075
5	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	कटहल	15	4314	64710
6	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	आम बीजू	15	3554	53310
7	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	नींबू बीजू	15	5890	88350
8	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	जामुन बीजू	15	1476	22140
9	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	ऑवला बीजू	15	25326	379890
10	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	गुलमोहर बीजू	15	1247	18705
11	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	सीताफल बीजू	15	569	8535
12	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	बेल बीजू	15	1417	21255
13	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	नीम मीठी बीजू	15	683	10245
14	बहोरीबंद	उद्यान विभाग कटनी	करौदा बीजू	10	2255	22550
योग					76405	1137350
1	बहोरीबंद	मजीठा फलोरीकल्चर नर्सरी जबलपुर	आम (ग्राफटेड)	50	14000	70000
2	बहोरीबंद	मजीठा फलोरीकल्चर नर्सरी जबलपुर	अमरुद(ग्राफटेड)	35	10200	357000
3	बहोरीबंद	मजीठा फलोरीकल्चर नर्सरी जबलपुर	नींबू (ग्राफटेड)	25	19000	475000
4	बहोरीबंद	मजीठा फलोरीकल्चर नर्सरी जबलपुर	जामून(ग्राफटेड)	15	10000	150000
योग					53200	1682000
महायोग					129605	2819350

[Handwritten Signature]
23/11/17
S. G. S.
P.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बहोरीबंद

परिशिष्ट-82 (151)

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / 3805 / MGNREGS/NR-3/2017

भोपाल, दिनांक 08/06/2017

प्रति,

कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त)

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा के तहत वृक्षारोपण संबंधी दिशा निर्देश।


संदर्भ:-कार्यालयीन पत्र क्रं./3005/MGNREGS/NR-3/2017 भोपाल, दिनांक 28/04/2017

--0--

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा नरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क/नहर किनारे, सार्वजनिक भवनों/परिसरों में तथा उनकी बाउण्ड्री पर और सामुदायिक/शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण परियोजना के निर्देश जारी किए गये हैं।

2. प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में उक्त निर्देशों के तहत वृक्षारोपण की दो परियोजनाएं ली जाना हैं। वृक्षारोपण हेतु पौधों की व्यवस्था हेतु उपरोक्त पत्र दिनांक 28.04.2017 की कड़िका 8.2 के अतिरिक्त निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

- कलेक्टर/CEO, ZP उन्नत किस्म के दो वर्ष या अधिक के छायादार वृक्षों के पौधों की व्यवस्था शासकीय/मान्यता प्राप्त अथवा प्रदेश के बाहर अच्छी नर्सरी से पौधे क्रय करके करा सकेंगे।
- कलेक्टर/CEO, ZP उन्नत किस्म के पौधे वन/उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्धारित अथवा उनके द्वारा क्रय की गयी दरों पर बिना निविदा बुलाये किया जा सकेगा। कृषक तक पौधे पहुंचाने में परिवहन व्यय लगाने की दशा में परिवहन व्यय की गणना प्रति पौधा करते हुए पौधे के क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा।
- कलेक्टर/CEO, ZP द्वारा पौधों की उपरोक्तानुसार व्यवस्था की दशा में परियोजना की सामग्री मद की मानक लागत में से पौधे का मूल्य कम करते हुये शेष राशि का भुगतान लगावित कृषकों को किया जाए।
- कलेक्टर/CEO, ZP के द्वारा पौधे की व्यवस्था की दशा में जनपद पंचायत के भीतर आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के लिए जनपद पंचायत को वेण्डर माना जाएगा। वेण्डर का प्रारूप इस पत्र के पीछे अंकित परिशिष्ट अनुसार है।



(राधेश्याम जुलानिया)


विकास आयुक्त

90 क्रं./3806/MGNREGS/NR-3/2017

भोपाल, दिनांक 08/06/2017

प्रतिलिपि:-

- संनागायुक्त, संभाग समस्त।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य राजनगर गारंटी परिषद भोपाल।
- संचालक-राजीव गांधी-जल-ग्रहण मिशन, विन्ध्यचल भवन भोपाल।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
- निज सहायक, मा.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यालय।
- समस्त अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत एवं समस्त सरपंच को मध्यप्रदेश पंचायिका में प्रकाशन द्वारा।



विकास आयुक्त

मध्यप्रदेश